12/5/26	उभय पक्ष उप. प्रति.सं. 1-3 की तरफ से [illegible] जवाब प्रस्तुत नहीं किया है। पूर्व में काफी अवसर दिये जा चुके है। पत्रावली तरफी जवाब में बहस स्थगन पर रखाईद की जाती है। नंबर से पेश हो। आदेश सुनाया गया उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ (राज.)	GCMS 2024/339

Signature Not Verified

Digitally signed by Bharat Jai
Prakash Meena
Date: 2026.05.13 17:09:51 IST
Reason: SelfAttested